कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड, अजमेर ।

क्रमांकः– 898 दिनांकः– 22/5/18

सहायक वन संरक्षक,
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान जयपुर ।

विषय–मझेवडा बस स्टेण्ड से पंचमाता मंदिर तक सडक निर्माण हेतु वन क्षेत्र में निर्माण की स्वीकृति बाबत ।
प्रसंगः–आपका पत्रांक एफ–14(रोड)2018 / एफसीऐ / पीसीसीएफ / ईडीएस / दिनांक 07.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के द्वारा चाही गयी बिन्दुवार आक्षेपों की पूर्ति कर सूचना निम्नानुसार प्रस्तुत हैः–

1 बिन्दु सं 1 की पालना के क्रम में प्रस्ताव के पार्ट–1 के बिन्दु संख्या बी–1(i) में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत पुराने स्वीकृत / अस्वीकृत / निरस्त / प्रक्रियाधीन प्रस्ताव का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है ।

2 प्रस्ताव के पार्ट I के बिन्दु संख्या C-ii(B) में संलग्न की गई फाईल प्रस्तावित वन क्षेत्र मण्डल की डिजिटल सीमा के अनुरूप संशोधित कर दी गई है । तदानुसार GT Sheet व DGPS Map संलग्न है ।

3 वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रक्रिया शुरू किये जाने का प्रमाण पत्र संलग्न है ।

4 यूजर एजेन्सी द्वारा पूरी सडक की लम्बाई में 3.75 मीटर की चौडाई में डामर सडक व 1.125 मीटर चौडाई में दोनो ओर बर्म बनाया जायेगा तथा सडक की इसी चौडाई के अन्दर ही विभिन्न स्थानों पर 200.00मीटर लम्बाई में ही प्रोटेक्शन वाल बनाया जाना प्रस्तावित है । इस क्रम में निवेदन है कि पूरी लम्बाई में सडक का क्रोस सेक्शन एक ही प्रकार का रहेगा ।

5 पंच माता मंदिर राजस्व रिकार्ड के अनुसार पहाड पर वन भूमि पर है तथा उस पर पहुंचनें का सिढी द्वारा रास्ता बना हुआ है । यह मंदिर काफी पुराना बना हुआ है इस विभाग द्वारा मात्र सीढी तक पहुंचने हु मझेवला बस स्टेण्ड से पक्की सडक का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से वन क्षेत्र में लगभग 450.00 मीटर लम्बाई सडक गुजरेगी तथा शेष सडक गैर वन क्षेत्र से गुजरेगी ।

6 खसरा मेप पर अंकन व जमा बंदी संलग्न है ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(अशोक रंगनानी)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. जिला खण्ड,
अजमेर ।